अति महत्वपूर्ण

प्रेषक,

सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर (नैनीताल)।

सेवा में,

समस्त उप नियंत्रक,
मुख्य संकलन केन्द्र/उप संकलन केन्द्र
उत्तराखण्ड।

पत्रांकः उ0वि0शि0प0/सि0से0/संकलन/3174-3229/2021-22 दिनांक 04 जुलाई, 2021

विषयः— हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षा 2021 के लिये संकलन केन्द्र एवं उप संकलन केन्द्रों की कार्यव्यवस्था के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त सन्दर्भ में आप विज्ञ है कि उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 226/XXIV-B-5/2020-3(1)2020, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–5 देहरादून दिनांक 25 अप्रैल, 2021 के द्वारा दिनांक 04 मई, 2021 से 22 मई, 2021 के मध्य प्रस्तावित कक्षा 10 एवं शासनादेश संख्याः 401/XXIV-B-5/2021-03(01) 2020, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–5 देहरादून दिनांक 11 जून, 2021 के द्वारा दिनांक 04 मई, 2021 से 22 मई, 2021 के मध्य प्रस्तावित कक्षा 12 की उत्तराखण्ड बोर्ड परीक्षा रद्द/निरस्त कर दी गयी। शासनादेशों में वर्णित व्यवस्था के अनुसार **कक्षा 10 एवं कक्षा 12 की परिषदीय परीक्षा के परिणाम घोषित करने के लिए उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर नैनीताल द्वारा वस्तुनिष्ठ मापदण्ड (Objective Criterion) पृथक से निर्धारित/तैयार किये जायेंगे। यदि कोई अभ्यर्थी उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् द्वारा तैयार मापदण्डों द्वारा प्रदत्त अंको (MARKS) से संतुष्ट नहीं होता है तो परिस्थितियां सामान्य होने पर यदि कोई परीक्षा उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर नैनीताल द्वारा आयोजित की जाती है, तो उस परीक्षा में आवेदन/सम्मिलित होने का अवसर सम्बन्धित परीक्षार्थी को तत्समय प्रदान किया जायेगा।**

हाईस्कूल (कक्षा 10) एवं इण्टरमीडिएट (कक्षा 12) परीक्षाफल निर्माण हेतु मापदण्ड निर्धारण हेतु शासनादेश सख्याः 403/XXIV-B-5/2021-3(1)2020, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–5 देहरादून दिनांक 11 जून, 2021 के द्वारा महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा हाईस्कूल (कक्षा 10) एवं इण्टरमीडिएट (कक्षा 12) परीक्षाफल निर्माण हेतु मापदण्ड निर्धारण हेतु दिये गये प्रस्ताव के आधार पर शासनादेश सख्याः 445/XXIV-B-5/2021-03(01)2020, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–5 देहरादून दिनांक 03 जुलाई, 2021 के हाईस्कूल (कक्षा 10), इण्टरमीडिएट (कक्षा 12) तथा कृषि वर्ग की कक्षा 11 की परिषदीय परीक्षा 2021 के परीक्षाफल निर्माण कार्य के लिये मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं। (शासनादेश संलग्न)

हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षा 2021 में आपके जनपद के समस्त परीक्षा (मूल्यांकन) केन्द्रों की परीक्षाफल निर्माण प्रक्रिया के प्रपत्रों/ओ0एम0आर0 एवार्ड के पैकेटो को संकलित करने के लिए आपके विद्यालय को संकलन/उप संकलन केन्द्र निर्धारित किया गया है। संकलन केन्द्र के अन्तर्गत आप संकलन/उप संकलन केन्द्र पर उप नियंत्रक रहेंगे तथा मुख्य शिक्षा अधिकारी पदेन मुख्य नियंत्रक रहेंगे। इस सन्दर्भ में यह भी अवगत कराना है कि प्रत्येक शिक्षक/कर्मचारी का दायित्व है कि वे उन्हें सौंपे गये परीक्षा संबंधी कार्यों में पूर्ण सहयोग करेंगे।

All file 2020-21 Pre Exam. Meeting 2021 Sankalan nirdesh2021

परिषदीय परीक्षाओं के सफल संचालन को सुनिश्चित करने हेतु उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम 2006 के अन्तर्गत निर्मित विनियम के अध्याय–तीन (सेवा की शर्तें) के विनियम 96 द्वारा परीक्षा सम्बन्धी कार्यों में सहयोग करना प्रधानाचार्य/शिक्षक की सेवा का अनिवार्य अंग घोषित किया गया है। अतः यदि कोई संस्था का प्रधान, अध्यापक अथवा कर्मचारी सौंपे गये दायित्व के निर्वहन में असमर्थता व्यक्त करता है/आना–कानी करता है/जान–बूझकर अनुपस्थित रहता है तो उसके विरुद्ध उक्त विनियम के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाय। विनियम 96* निम्नवत् हैः–

विनियम–96*–प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य, शिक्षक अथवा कर्मचारी, जिन्हें उत्तर पुस्तिकाओं का संकलन तथा मूल्यांकन केन्द्र से संबंधित परिषद अथवा मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा कोई दायित्व/कार्य सौंपा जायेगा, जिसमें उत्तरपुस्तिकाओं के बण्डलों को लाने, ले जाने तथा उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य भी सम्मिलित है, उनकी सेवा का अंग माना जायेगा। उक्त कर्त्तव्यों के निर्वहन में असमर्थता व्यक्त करने अथवा जान–बूझकर अनुपस्थित रहने पर कर्त्तव्यों की अवहेलना मानी जायेगी और ऐसे व्यक्तियों को जनहित में ड्यूटी से अनुपस्थित माना जायेगा तथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

संकलन कार्य की व्यवस्था के अन्तर्गत आपको निम्नलिखित कार्यवाही करनी हैः–

परीक्षाफल निर्माण प्रकिया के प्रपत्रों/ओ0एम0आर0 एवार्ड के पैकेट आपके संकलन केन्द्र तथा उप संकलन केन्द्र पर जनपद के परीक्षा केन्द्रों से वाहकों द्वारा विलम्बतम 17 **जूलाई, 2021** तक प्राप्त होगें। उनकी समुचित व्यवस्था के लिये संकलन केन्द्र पर हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट हेतु पृथक कोठार बनाये जायेंगे। प्रत्येक कोठार हेतु एक कोठारी एवं आवश्यकतानुसार एक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी भी रखे जायेंगे। **हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट** परीक्षाफल निर्माण प्रक्रिया के प्रपत्रों/ओ0एम0आर0 एवार्ड **को अपने विद्यालय के पृथक–पृथक कक्षों में संकलित कराने की व्यवस्था करें।** दोनों के कोठारी तथा चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी पृथक–पृथक होंगे। कोठारी तथा कर्मचारी अपने विद्यालय स्टाफ में से विश्वसनीयता, श्रमशीलता, निष्ठा तथा लगन के आधार पर नियुक्त किये जायं। यथासम्भव वरिष्ठता को ध्यान में रखा जाय। **इस कार्य में वे कर्मचारी कदापि नहीं लगाये जायें जिनके पाल्य परिषद् की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हों।** वित्तीय कार्य सम्पन्न करने के लिये आप कृपया अपने स्टाफ से एक लिपिक का भी चयन करें जो इस कार्य के प्रति उत्तरदायी होंगे।

संकलन केन्द्र के दायित्व :–

एवार्ड O.M.R. शीट में मुद्रित है। अतएव कोठार में परीक्षाफल निर्माण प्रक्रिया के प्रपत्रों/ओ0एम0आर0 एवार्ड के **पैकेटों इस प्रकार व्यवस्थित कर रखे जायें कि पैकेट के अन्दर रखे हुए O.M.R. शीट कदापि मुड़ने न पायें।**

परीक्षाफल निर्माण प्रक्रिया के प्रपत्रों/ओ0एम0आर0 एवार्ड के पैकेटों को सुरक्षित रखने हेतु कमरों में कीटनाशक आदि का छिड़काव भी अवश्य कर लिया जाय। ज्वलनशील पदार्थों से संकलन/उप संकलन केन्द्र की सुरक्षा सुनिश्चित की जाय। आगजनी सम्बन्धी आकस्मिक दुर्घटना की स्थिति में तत्काल फायर ब्रिगेड को बुलाया जाय। उप नियंत्रक अपने निकटवर्ती फायर ब्रिगेड स्टेशन का दूरभाष नम्बर अपने पास रखें ताकि किसी आकस्मिक दुर्घटना की स्थिति में फायर ब्रिगेड से तत्काल सहायता प्राप्त हो सके।

परिषद द्वारा निर्धारित कार्यक्रमानुसार उपसंकलन केन्द्र परीक्षाफल निर्माण प्रक्रिया के प्रपत्रों/ओ0एम0आर0 एवार्ड के पैकेटों को मुख्य संकलन केन्द्र तथा मुख्य संकलन केन्द्र परिषद् कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

(1) परीक्षाफल निर्माण प्रक्रिया के प्रपत्रों/ओ0एम0आर0 एवार्ड के पैकेटो का परिषद् कार्यालय को प्रेषण का कार्य वाहन द्वारा परिषद के निर्धारित कार्यक्रमानुसार दिनांक **20 जुलाई, 2021** पूर्ण करा लिया जाय। यह सुनिश्चित करें कि पैकेट निर्धारित कार्यक्रमानुसार परिषद् कार्यालय पर निश्चित रूप से दिनांक **20 जुलाई, 2021** तक पहुँच जायें, जिससे परीक्षाफल निर्माण कार्य प्रारम्भ होने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। उचित होगा कि **सामग्री लाने वाले वाहन में प्रथमतः हाईस्कूल परीक्षा के पैकेट केन्द्र संख्यावार तथा तत्पश्चात इण्टरमीडिएट परीक्षा के पैकेट केन्द्र संख्यावार क्रमशः रखे जांय। जिससे समस्त** परीक्षाफल निर्माण प्रक्रिया के प्रपत्रों/ओ0एम0आर0 एवार्ड के पैकेटों को परिषद कार्यालय **में सुविधापूर्वक उतारा जा सकें।**

(2) जिन जनपदों में उप संकलन केन्द्र/केन्द्रों का निर्धारण किया गया है। वहां **उप संकलन केन्द्र/केन्द्रों पर भी परीक्षाफल निर्माण प्रक्रिया के प्रपत्रों/ओ0एम0आर0 एवार्ड के पैकेट परीक्षा (मूल्यांकन) केन्द्रों से दिनांक 17 जुलाई, 2021 तक ही प्राप्त होंगे। ऐसे उप संकलन केन्द्रों से परीक्षाफल निर्माण प्रक्रिया के प्रपत्रों/ओ0एम0आर0 एवार्ड के पैकेट मुख्य संकलन केन्द्र को यथा सम्भव दिनांक 18 जुलाई, 2021 को ही मध्याह्न 12:00 बजे तक निश्चित रूप से पहुँचा दिये जायं। संकलन केन्द्रों द्वारा दिनांक 20 जुलाई, 2021 तक ओ0एम0आर0 एवं अन्य प्रपत्रों को परिषद् कार्यालय प्रेषित करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।**

(3) उप संकलन केन्द्र अपने से सम्बन्धित परीक्षा (मूल्यांकन) केन्द्रों की सूची मुख्य संकलन केन्द्र से प्राप्त कर लें, जिससे यह ज्ञात रहेगा कि किन–किन परीक्षा (मूल्यांकन) केन्द्रों से किन–किन परीक्षाओं के परीक्षाफल निर्माण प्रक्रिया के प्रपत्र/ओ0एम0आर0 एवार्ड के पैकेट किन–किन संकलन एवं उप संकलन केन्द्रों को प्राप्त होगें। परीक्षा (मूल्यांकन) केन्द्रों से पैकेट प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट के पैकेट अलग–अलग प्राप्त हों। जिन परीक्षा (मूल्यांकन) केन्द्रों से परीक्षाफल निर्माण प्रक्रिया के प्रपत्र/ओ0एम0आर0 एवार्ड के पैकेट प्राप्त होते जायें, तिथिवार लगाते जायें।

(4) संकलन केन्द्र/उप संकलन केन्द्र के प्रत्येक कोठार के दरवाजे हेतु दो ऐसे नये तथा मजबूत ताले क्रय किये जायें जिनकी दो–दो चाबियाँ हों। दोनों तालों की चाबियों के दो सेट बनाये जायं। जिसका एक सेट लिफाफे में सील बन्द कर उप नियंत्रक के पास सुरक्षित रखा जाय। दूसरे सेट की एक चाबी उप नियंत्रक के पास रहेगी और दूसरी चाबी कोठारी के पास रहेगी ताकि दोनों की उपस्थिति में ही ताले खुल सकें। इस कार्यवाही का विवरण एक पंजिका में अंकित किया जाय जिसकी समय–समय पर निरीक्षक अधिकारियों द्वारा जाँच की जायेगी। प्राप्त होने वाले परीक्षाफल निर्माण प्रक्रिया के प्रपत्रों/ओ0एम0आर0 एवार्ड के बण्डलों का विवरण तिथिवार एक स्थाई रजिस्टर में अंकित किया जाय। **कोठार के अन्दर सम्बन्धित कोठारी और उसके सहायक के अतिरिक्त अन्य किसी को भी न जाने दिया जाय। इसका पालन कड़ाई से किया जाय।**

(5) संकलन केन्द्र/उप संकलन केन्द्र से सम्बन्धित, प्रयोग में लाये जाने वाले प्रपत्र आपको परिषद् कार्यालय से प्राप्त होंगे। परीक्षा (मूल्यांकन) केन्द्रों के वाहकों द्वारा प्राप्त पैकेटों की प्रविष्टि के लिए संकलन प्रपत्र–4 को सजिल्द रजिस्टर बनाकर हाईस्कूल तथा इण्टर की अलग–अलग प्रविष्टि करते रहें। ओ0एम0आर0 एवार्ड के पैकेटों प्राप्त करने से पूर्व उसका भली–भाँति निरीक्षण कर लें। पैकेट भली–भाँति सील बन्द होना चाहिये। यदि सील टूटी–फूटी हो अथवा संदेहास्पद हो तो इसकी प्रविष्टि कराकर परीक्षा (मूल्यांकन) केन्द्र के वाहक के समक्ष पुनः सील कराने की व्यवस्था करें। संकलन प्रपत्र–4 तीन प्रतियों में बनाया जाय।

(6) परीक्षा (मूल्यांकन) केन्द्र **संकलन केन्द्र/उप संकलन केन्द्र पर दिनांक से तक अवश्य जमा हो जाने चाहिये। संकलन केन्द्र एवं उप संकलन केन्द्र प्रातः 10:00 बजे से सायं 7:00 बजे तक संचालित रहेंगे**। इसका पालन कड़ाई से किया जाय। संकलन/उप संकलन केन्द्र का दायित्व होगा कि मुख्य शिक्षा अधिकारी के द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत ओ0एम0आर0 एवार्ड एवं प्रपत्रों के पैकेट मुख्य संकलन/उप संकलन केन्द्रों में परीक्षा (मूल्यांकन) केन्द्रों के प्रधानाचार्यो के द्वारा पैकेट वाहकों के माध्यम से जमा कराये जायेंगे।

(7) मुख्य संकलन/उप संकलन केन्द्र, पैकेट प्राप्त करने की तिथि तथा समय, बण्डल प्राप्त करने की रसीद पर अवश्य अंकित करेंगे।

(8) मुख्य संकलन/उप संकलन केन्द्र पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस की समुचित व्यवस्था करने के लिये मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से आवश्यकतानुसार पुलिस की माँग समय से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से कर लें।

(9) **मुख्य संकलन केन्द्र द्वारा जनपद के परीक्षाफल निर्माण प्रक्रिया के प्रपत्रों/ओ0एम0आर0 एवार्ड के पैकेटो का परिषद कार्यालय के गोपनीय 3/4 अनुभाग को प्रेषण दिनांक 20 जुलाई, 2021 तक अवश्य कर दिया जाय। परीक्षाफल से सम्बन्धित प्रपत्रों/ओ0एम0आर0 एवार्ड के पैकेटो के प्रेषण सम्बन्धी समस्त सूचना गोपनीय रखी जाय।**

आवश्यक निर्देशः–

1:– परीक्षाफल निर्माण प्रक्रिया के प्रपत्रों/ओ0एम0आर0 एवार्ड के पैकेट खो जाने अथवा गायब हो जाने की दशा में संबंधित संकलन केन्द्र के **उप नियंत्रक द्वारा तत्काल नजदीक के थाने में प्राथमिकी रिपोर्ट (F.I.R.) दर्ज कराई जाय।** इस कार्यवाही के पूर्व बण्डल खोजने का हर सम्भव प्रयास किया जाय।

2:–मुख्य संकलन केन्द्रों से वाहन पर पैकेट लदवाने के बाद तिरपाल से ढककर चारों ओर से वाहन को इस प्रकार बन्द करा दिया जाय कि प्रपत्रों/ओ0एम0आर0 एवार्ड के पैकेट वर्षा से खराब न हों एवं कोई पैकेट वाहन से गिरने न पाये।

3:– मुख्य संकलन/उप संकलन केन्द्र पर आने वाले बण्डल वाहकों को कोरोना वाइरस (COVID-19) के संक्रमण के दृष्टिगत भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों/निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करेंगें।

6:– संकलन केन्द्र पर आने वाले बण्डल वाहक एवं कार्य करने वाले अध्यापक/कार्मिकों को फेस मास्क/फेस सील्ड पहनना अनिवार्य है।

परिषदीय परीक्षा के सम्बन्ध में सम्पर्क/निर्देश हेतु परिषद् कार्यालय की E-Mail:- secy-ubse-uk@nic.in, Mob. No. 9411168544, 9410345168, 9412110199, 7579246923, Tel. No. 05947-254275 तथा Fax No:- 05947-255021 है।

आशा है इस सम्बन्ध में आपका पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा तथा संकलन कार्य के सफल संचालन में आप अपने विद्यालय की गरिमा और परीक्षाफल की पवित्रता बनाये रखने में हर प्रकार से सक्रिय रहेंगे।

सलग्न– संकलन प्रपत्र–4

भवदीय

(डॉ0 नीता तिवारी)
सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर (नैनीताल)।

पृ0सं0:– उ0वि0शि0प0/सिस्टम सेल/संकलन/3174-3229 /2021-22 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1:– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।

2:– सभापति, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

3:– अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।

4:– मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), गढवाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल।

5:– समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने जनपद के संकलन/उप संकलन केन्द्र का आकस्मिक निरीक्षण करते रहें। आप स्वयं जाँच करते रहें कि परीक्षाफल प्रक्रिया से सम्बन्धित प्रपत्रों/ओ0एम0आर0 एवार्ड के पैकेट संकलन/उप संकलन केन्द्र पर समय से जमा हो रहे हैं। इसके साथ ही संकलन/उप संकलन केन्द्र को समय–समय पर समुचित निर्देश देते रहें, जिससे कि समयबद्ध कार्यक्रम में कोई शिथिलता न आने पाये। परीक्षाफल प्रक्रिया से सम्बन्धित प्रपत्रों/ओ0एम0आर0 एवार्ड के पैकेट परीक्षा (मूल्यांकन) केन्द्रवार व्यवस्थित कर समय से परिषद् कार्यालय को प्रेषित कराना सुनिश्चित कर लेवें।

(डॉ0 नीता तिवारी)
सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर (नैनीताल)।

संकलन प्रपत्र–4

(संकलन केन्द्र द्वारा तीन प्रतियों में तैयार किया जाय।)

हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षा, 2021

परीक्षा केन्द्र के वाहकों से प्राप्त लिफाफा संख्या–1 व 2 के पैकेट का विवरण–

संकलन केन्द्र का नाम–...

दिनांक	केन्द्र संख्या	केन्द्र का नाम	प्राप्त लिफाफा संख्या–1 के पैकेट्स की संख्या	प्राप्त लिफाफा संख्या–2 के पैकेट्स की संख्या	परीक्षा केन्द्र से पैकेट लाने वाले वाहक का नाम एवं पदनाम	पैकेट्स प्राप्त करने का समय	कोठारी के हस्ताक्षर
योग–							

नोट– उपर्युक्त विवरण हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा का पृथक–पृथक तैयार किया जायेगा। प्रथम प्रति परिषद् कार्यालय, द्वितीय प्रति मुख्य संकलन केन्द्र तथा तृतीय प्रति उप संकलन केन्द्र पर सुरक्षित रखी जाय।

हस्ताक्षर उप–नियंत्रक

संकलन केन्द्र

सील।